

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 13, 06, 2025

// आदेश //

तात्कालिक प्रभाव से राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालकों को स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकि
कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद/जोन	जोन जहां स्थानान्तरण किया जाता है
1	2	3	4
1.	श्री अमित कुमार वाहन चालक	मुख्यालय	लखनऊ
2.	श्री राधेश्याम वर्मा वाहन चालक	अयोध्या	मुख्यालय

- उपरोक्त स्थानान्तरित कर्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए उन्हें नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर द्वारा निर्देशित किया जायेगा।
- यदि उपरोक्त तैनाती पर कर्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त कर्मिकों के नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 06-05-2025 के बिन्दु संख्या-11(i) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त(प्रशासन)/राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक:: उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक)/राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- संयुक्त आयुक्त(आईटी0)/राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बन्धित उपायुक्त(प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- चरित्र पंजिका सेल, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से।

13/06/2025
(रवि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त(स्थापना अराजपत्रित)
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।